[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated 23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 28 /2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No. EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of Section 37 read with section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from April, 2020 to September, 2020 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of Section 38 of the said Act, for the months of April, 2020 to September, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

By order,
Jagdish Chander Sharma,
Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 29 / 2020—राज्य कर

शिमला—2, 23 जून, 2020

संख्याः ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4 / 2020.——आयुक्त, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में इसमें उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उप—नियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, विनिर्दिष्ट करता है कि अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 तक के प्रत्येक मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर—3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के चौबीसवें दिवस को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।

2. **प्ररूप जीएसटीआर—3ख के अनुसार, कर दायित्व से उन्मोचन के लिए कर संदाय.**—उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर—3ख** में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अध्यधीन, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन किसी अन्य संदेय रकम का, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक उधार खाते में विकलन द्वारा, जिस तारीख पर उससे उक्त विवरणी देना अपेक्षित है, प्रथम पैरा में यथा विनिर्दिष्ट अन्तिम तारीख के पश्चात् नहीं, अपने दायित्व का उन्मोचन करेगा।

आदेश द्वारा,
जगदीश चन्द्र शर्मा,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।